Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 29 /2014

Narayan Mahto & Ors.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–104/2013–14 में दिनांक–26.11.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि मौजा डोकरेल, अंचल जलालगढ़ R.S. खाता सं0–166, R.S. खेसरा सं0–1007 एवं 1068 रकवा क्रमशः 48 डी0 तथा 68 डी0, चक खाता सं0–07, चक खेसरा सं0–615, रकवा–16 डी0, सिकमी चक खाता सं0–02, खेसरा सं0–616, 517/2 रकवा–50 डी0 तथा 48 डी0 विवादित भूमि है। प्रश्नगत भूमि मूलतः उत्तरवादियों के पूर्वज वासूदेव राय के नाम शिकमी खाता सं0–23 एवं 24 से संबंधित है। भूधारी के विरूद्ध सिलिंग वाद सं0–08/1976–77 प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रश्नगत भूमि अधिशेष घोषित हुई। उक्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम बंदोबस्ती हुई। बंदोबस्ती के पश्चात इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–395 दर्ज हुई एवं वर्ष 1983–84 तक भू–लगान भुगतान किया गया। चकबंदी के दौरान उत्तरवादियों के पूर्वजों ने अपने नाम चकबंदी खतियान बनवा लिया, जिसमें अपीलार्थी के पूर्वजों को शिकमीदार दर्ज किया गया। चकबंदी खतियान गलत एवं क्षेत्राधिकार से परे है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर दखलकार है। उत्तरवादियों द्वारा इन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। चकबंदी कर्मी द्वारा	

Web Copy. Not Official.

		उत्तरवादी द्वितीय पक्ष का नाम सही दर्ज किया गया है। आर0एस0 क्रमशः	
	लगातार 22.06.2023	खतियान नंददेव राय, काली प्र0 राय, जमुना प्र0 राय सभी पिता–हरिचरण राय के नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय द्वारा अवैध तरीके से इनके अपीलवाद को अस्वीकृत कर दिया गया, जो विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। गंगाधर महतो एवं मनसू महतो अपीलार्थी के पूर्वज एवं शिकमीदार थे। अपीलार्थीगण लालकार्ड धारक हैं इनके पूर्वजों के नाम जमाबंदी दर्ज है। चकबंदी खतियान में उत्तरवादियों का नाम दर्ज होना गलत है। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने एवं अपीलवाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों एवं विधि के दृष्टि में पोषणीय नहीं है। मौजा डोकरेल थाना नं0–181, चक खाता सं0–07 खेसरा सं0–615,617, 517, रकवा 2.29 एकड़ भूमि उत्तरवदियों के नाम दर्ज है। इनके द्वारा अद्यतन भू–लगान भुगतान है। आर0एस0 खतियान वासूदेव राय एवं अन्य के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के शिकमीदार गंगाधर महतो एवं मंसू महतो की मृत्यु हो गई है। चकबंदी के पश्चात उत्तरवादियों के नाम भू–लगान निर्गत है। इनके विरूद्ध कभी भी कोई सिलिंग वाद नहीं चलाया गया है। फलतः लालकार्ड निर्गत करने की बात पूर्णतः गलत है। अपीलार्थी को अंचलाधिकारी द्वारा पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील में जाना चाहिए था। प्रश्नगत भूमि उत्तरवादियों के दखल–कब्जे में है। उक्त मौजा में चकबंदी का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। शिकमीदार के वारिशानों को शिकमी हक प्राप्त करने हेतु बी0टी0 एक्ट की धारा 48ई के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ जाना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा ऐसा कभी भी नहीं किया गया। अपीलार्थी 10.12 एकड़ भूमि के जोतदार भी है। निम्न	

Web Copy - Not Official.

		न्यायालय द्वारा तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	लगातार 22.06.2023	उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सीलिंग केस नं0–08/76–77 से अधिशेष घोषित होते हुए उनके पूर्वजों के पक्ष में लालकार्ड से प्राप्त होने के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा दावा किया जा रहा है तथा उनके द्वारा वर्ष 1983–84 तक भू–लगान भुगतान करने का साक्ष्य समर्पित किया गया है। जबकि उक्त भूमि का चकबंदी खतियान उत्तरवादीगण के नाम से दर्ज है एवं उनके पक्ष में अद्यतन भू–लगान निर्गत है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्गत लालकार्ड एवं उत्तरवादियों के नाम चकबंदी खतियान सृजित है और अभिलेख एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से दोनों कागजात अस्तित्व में होना प्रतीत होता है। इस प्रकार जबतक लालकार्ड एवं खतियान में दर्ज प्रविष्टि में से कोई एक निरस्त नहीं होता है तबतक प्रश्नगत भूमि पर वर्त्तमान दखलकार के कब्जे को बरकरार रखते हुए लालकार्ड एवं चकबंदी खतियान की प्रविष्टि के रद्दीकरण के लिए पक्षकार यदि चाहें तो मामले के विचारण हेतु सक्षम न्यायालय/चकबंदी अधिनियम के तहत् अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना दावा रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy Not Official.

Web Copy - Not Official